जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 08.02.2024**

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्र से हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 29.01.2024 को वादी श्री मोहर सिंह पुत्र बारू सिंह निवासी ग्राम बल्हेड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली की ट्रैक्टर-ट्राली आयुष्मान हॉस्पिटल मेरठ करनाल रोड़ पर खड़ी थी, जिसको अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी की घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी किए माल की शीघ्र बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्र से हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 01 अभियुक्त को चोरी की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सुमित पुत्र रिषीपाल निवासी ग्राम मोहनगाढा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ टैक्ट्रर महिन्द्रा नम्बर 575 DI XP प्लस रंग लाल व 01 ट्राली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0सं0 32/2024 धारा 379,411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1 उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.का0 अंकित मावी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 अरूण कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>**थाना कैराना**</u>

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटी कला के जंगल में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 03.02.2024 को श्री रजत पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली के भाई रवि के साथ लव पुत्र सपट्टर निवासी ग्राम बल्हेड़ा थाना झिंझाना व 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी डण्डो से लैस होकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटी कला के जंगल में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**</u>

1.लव कुमार पुत्र सपट्टर निवासी ग्राम बल्हेडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>**बरामदगी का विवरणः-**</u>

1.घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा

<u>**आपराधिक इतिहासः-**</u>

1.मु0अ0स0 52/24 धारा 147/148/149/324/325/342/307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**</u>

1.उ0नि0 सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।

2.हे0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.हे0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 किग्रा अवैध डोडा बरामदः-</u>

आज दिनांक 08.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन व अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को 01 किग्रा अवैध डोडा सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सादाब पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम खेडीकरमू थाना कोलवाली जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0सं0 07/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध डोडा 01 किग्रा।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।
2.हे0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 01 हत्याभियुक्त को माननीय न्यायालय शामली द्वारा सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा एवं 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।</u>

ज्ञात हो दिनांक 26.07.2015 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लिसाढ में अभियुक्त रोहित पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा **वादी श्री राजेश गुप्ता पुत्र रामनाथ निवासी 95 चन्द्रशेखर मायाकुण्ड ऋषिकेश जनपद देहरादून उत्तराखण्ड के पुत्र सत्यम की हत्या कर दी गयी थी। घटना के संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर दिनांक 06.08.2015** को मु0अ0सं0 310/2013 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/ SPL/SC/ST कोर्ट कैराना शामली द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त रोहित उपरोक्त को दोषी पाते हुये अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 201 भादवि में 07 वर्ष कठोर करावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम पता अभियुक्तः-</u>

1.रोहित पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI